

विषय सूची

खंड I	
बाह्य वाणिज्यिक उधार	
I.(अ)	स्वतः अनुमोदित मार्ग
i)	पात्र उधारकर्ता
ii)	मान्यताप्राप्त उधारदाता
iii)	राशि और परिपक्वता
iv)	समग्र लागत सीमा
v)	अंतिम उपयोग
vi)	अंतिम उपयोग अनुमत नहीं
vii)	गारंटी
viii)	जमानत
ix)	बाह्य वाणिज्यिक उधार को विदेशों में रखना
x)	समयपूर्व भुगतान
xi)	वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण
xii)	ऋण चुकौती
xiii)	प्रक्रिया
I (आ)	अनुमोदन मार्ग
i)	पात्र उधारकर्ता
ii)	मान्यताप्राप्त उधारदाता
iii)	राशि और परिपक्वता
iv)	समग्र लागत सीमा
v)	अंतिम उपयोग
vi)	अंतिम उपयोग अनुमत नहीं
vii)	गारंटी
viii)	जमानत
ix)	बाह्य वाणिज्यिक उधार को विदेशों में रखना
x)	समयपूर्व भुगतान
xi)	वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण
xii)	ऋण चुकौती
xiii)	प्रक्रिया
xiv)	अधिकार प्रदत्त समिति
<u>II</u>	रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसार
i)	रिपोर्ट करने की व्यवस्था
ii)	जानकारी का प्रसार

III.	संरचनात्मक दायित्व
IV.	बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांत
V.	बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन
VI.	बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना
VII.	पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

भाग-II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

- (क) राशि और परिपक्वता अवधि
- (ख) समग्र लागत सीमा
- (ग) गारंटी
- (घ) रिपोर्टिंग व्यवस्था- फार्म ईसीबी

संलग्नक II

फार्म 83

संलग्नक III

ईसीबी-2

संलग्नक IV

फार्म - टीसी

संलग्नक V

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट के ब्योरे

परिशिष्ट

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार

(अ) बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारकर्ताओं से तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधिवाले वाणिज्यिक ऋणों [बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, जांची गई लिखतों के रूप में (अर्थात् अस्थिर दरवाले नोटों और निर्धारित दर वाले बांड्स)] से है।

(आ) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य वह बांड है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है और जिसका मूल और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय है। इसके अलावा बांड को योजना अर्थात् "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयरों की निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना , 1993" के अनुसार जारी किया जाना चाहिए और विदेशी मुद्रा में अनिवासी द्वारा अभिदत्त तथा ऋण लिखतों से संबद्ध इक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णतः अथवा अंशतः किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय होने चाहिए। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के निर्गम को समय-समय पर संशोधित जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(इ) बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, नामतः (i) पैरा I(अ) में दिया गया स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) पैरा I (आ) में दिया गया अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

(ई) संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक /सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तक पहुंच की पात्रता के संबंध में संदेह के मामले में आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं।

I (अ) - स्वतः अनुमोदित मार्ग

(i) पात्र उधारकर्ता

(क) कंपनियां (वित्तीय मध्यस्थों के सिवाय, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां (जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं (एफआइ), आवास वित्त कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए पात्र हैं। व्यक्ति, ट्रस्ट और लाभ न कमानेवाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के पात्र नहीं हैं।

(ख) विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, सहयोगी संस्थाओं को अथवा घरेलू टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों के अंतरण की अनुमति नहीं है।

(ii) मान्यता पात्र उधारदाता

(क) उधारकर्ता अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियों और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (vi) विदेशी सहयोगियों और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं। स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए एक "विदेशी ईक्विटी धारक" को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ता कंपनी में ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

(i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम ईक्विटी,

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।

(क) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो एक कंपनी उगाह सकती है, वह 500 मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(ख) एक वित्तीय वर्ष में, 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार

(iii) राशि और परिपक्वता

(ग) 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी

डॉलर से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

- (घ) व्यक्ति वित्तपोषण कार्यक्रमलाप करनेवाली गैर सरकारी संगठन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकती है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आहरण द्वारा कमी करने के समय उधारकर्ता का विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव किया जाता है।
- (ड.) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में क्रय/ विक्रय विकल्प सकते हैं बशर्ते क्रय/विक्रय विकल्प का उपयोग करने से पहले औसत 3 वर्ष की औसत न्यूनतम परिपक्वता अवधि का पालन किया जाता है।

(iv) समग्र लागत सीमा

इसमें वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। इसके अलावा कर का भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

समीक्षा होने तक निम्नलिखित सीमाएं वैध हैं।

औसत परिपक्वता अवधि	छ : माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	350 आधार बिंदु

*उधार की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

(v) अंतिम उपयोग

- (क) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [पूंजी माल का आयात (विदेशी व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार) नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए] की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासीपरियोजना);

- (ख) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए किया जा सकता है।
- (vi) अंतिम उपयोग की अनुमति नहीं
- (क) भारतीय कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता है।
- (ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग स्थावर संपत्ति के लिए किया नहीं जा सकता है।
- (ग) भारतीय कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
- (vii) गारंटी
- बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी/ तत्काल साखपत्र, वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।
- (viii) जमानत
- उधारदाता / आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली जमानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। परंतु समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसे वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है।
- (ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना
- बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेश में रखा जाएगा। विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 से अनधिक रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (ख) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखा के पास जमा; और (ग) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत। निधियं का निवेश इस प्रकार से किया जाये कि जब भी निवेशक को भारत में उनकी आवश्यकता हो तो उनसे नकदी प्राप्त की जा सके।
- (x) समयपूर्व भुगतान
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन

के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

(xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

(xi) ऋण का भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त भेजने की सामान्य अनुमति है।

(xii) प्रक्रिया

स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, मान्यता प्राप्त उधारकर्ता के साथ करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार drawing down करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करे। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पैरा II (i)(ख) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I. (आ) अनुमोदन मार्ग

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल होंगे।

i) पात्र उधारकर्ता

क) केवल संरचनात्मक अथवा निर्यात वित्त में कार्यरत वित्तीय संस्थाएं जैसे, आइडीएफसी, आइएल एण्ड एफएस, ऊर्जा वित्त निगम, पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन, आइआरसीओएन, और एक्जिज्म बैंक पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

ख) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्रचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनके हकदारी में से काट लिया जायेगा।

ग) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, ख्याति प्राप्त क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा

- 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।
- घ) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय बिचौलिए का न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाजार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार 100 मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करे।
- ङ) विशेष प्रयोजन के माध्यम अथवा विशेष रूप से संरचनात्मक कंपनियों /परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था वित्तीय मानी जायेगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जायेगा।
- च) निम्नलिखित मानदंड पूरा करनेवाली विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समिति जो कि i) वित्तीय रूप से शोधक्षम हैं और ii) और अपना लेखापरीक्षित अद्यतन तुलनपत्र प्रस्तुत करनेवाली सहकारी समिति
- छ) भारत में औद्योगिक और संरचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत कारपोरेट्स को रुपया खर्च के लिए अनुमत अंतिम उपयोग के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति है।
- ज) माइक्रो-फाइनेंस कार्यकलापों में लगे गैर सरकारी संस्थानों को रुपया खर्च के लिए अनुमत अंतिम उपयोग के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति है। ऐसे गैर सरकारी संस्थानों के लिए अपेक्षित है कि (i) वित्तीय विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान उधार-लेनदेन के संबंध संतोषजनक रहे हों। (ii) गैर सरकारी संस्थानों के लिए उधारकर्ता संस्था के बोर्ड/ प्रबंध समिति के उपयुक्त स्टेटस तथा यथोचित कर्मिष्ठता के संबंध में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी किया गया फिट एंड सही प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होगा।
- झ) सेवाओं के क्षेत्र जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों में कार्यरत कारपोरेट्स को पूंजीगत माल के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति है।
- ञ) पैराग्राफ I (अ)(iii) में उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग सीमाओं और परिपक्वता अवधि के दायरे में न आने वाले मामले।

II)मान्यता प्राप्त उधारदाता	(क) उधारकर्ता अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे (i) अंतरराष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि), (iv) निर्यात ऋण एजेंसियां और (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, (vi)
-----------------------------	--

		विदेशी सहयोगी और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों (पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।
	(ख)	विदेशी ईक्विटी धारकों से जहाँ पर कि उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।
	(ग)	निम्नलिखित संरक्षा उपायों का पालन करने वाले समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति, माइक्रो-फाइनेंस कार्यकलापों में लगे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं।
	(i)	बाह्य वाणिज्यिक उधार देने का प्रस्ताव रखे वाले समुद्रपारीय संगठनों को किसी समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो मेजबान देश के विनियामक के विनियमों के अधीन है तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंक के वित्तीय कार्टवाई दल के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है। यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। (i) यह कि बैंक में उधारदाता का कम से कम दो वर्ष से खाता है। (ii) उधार देने वाली कंपनी स्थानीय कानून के तहत गठित की गयी है तथा व्यापारी / स्थानीय समुदाय में उसका अच्छा सम्मान है। (iii) यह कि उन पर कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है।
	(ii)	व्यक्तिगत उधारदाता को किसी समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त यथोचित कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाये कि बैंक में उधारदाता का कम से कम दो वर्ष से खाता है। लेखा का परीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्यों/दस्तावेजों को समुद्रपारीय बैंक द्वारा अभिप्रमाणित करके प्रेषित करना जरूरी है। ऐसे देशों के व्यक्तिगत उधारदाताओं को, जहाँ बैंकों द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' दिशा-निर्देशों का अनुपालन जरूरी नहीं है, बाह्य वाणिज्यिक उधार देने की नहीं है।
(iii) राशि और परिपक्वता अवधि	(क)	कारपोरेट एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा के अलावा अनुमोदन मार्ग के तहत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वतावाली 250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। अंतिम उपयोग, समग्र लागत सीमा, मान्यता प्राप्त उधारदाता जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। फिर भी, ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पूर्व भुगतान क्रय/विक्रय विकल्प हेतु 10 वर्ष तक अनुमति नहीं होगी।

	ख)	औद्योगिक संरचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत कारपोरेट्स [जैसा कि पैरा 1(क)(v)(क)] 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कारपोरेट्स 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के रूपया पूंजीगत व्यय के लिए अनुमत अंतिम उपयोग हेतु प्रति वित्तीय वर्ष स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा तक बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।						
	ग)	माइक्रो-फाइनेंस कार्यकलापों में लगे गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के दौरान 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आहरण द्वारा कमी करने के समय उधारकर्ता का विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव किया जाता है।						
	झ)	सेवाओं के क्षेत्र जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों में लगे कारपोरेट्स को पूंजीगत माल के आयात के लिए प्रति उधारकर्ता, प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।						
समग्र लागत सीमाएं		समग्र लागत सीमा में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में वायदा फीस के सिवाय और अन्य खर्चें, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रूपए में देय फीस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।						
		बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा समय-समय पर सूचित की जाएगी। निम्नलिखित सीमाएं समीक्षा तक वैध रहेंगी:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि</th> <th>छ मा तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागू सीमा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तीन वर्ष और पांच वर्ष तक</td> <td>200 आधार बिंदु</td> </tr> <tr> <td>पांच वर्ष से अधिक</td> <td>350 आधार बिंदु</td> </tr> </tbody> </table>	न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि	छ मा तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागू सीमा	तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु	पांच वर्ष से अधिक	350 आधार बिंदु
न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि	छ मा तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागू सीमा							
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु							
पांच वर्ष से अधिक	350 आधार बिंदु							
		उधार की अपनी- अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए						
(iv) अंतिम उपयोग	(क)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र- औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [जैसे, पूंजी माल का आयात, (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) नयी परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार] की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है -						

		(i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) पोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी ढांचे (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजना);
	(ख)	विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग किया जा सकता है।
	(ग)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेरों के प्रथम चरण में अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य दूसरे चरण प्रस्ताव में किया जा सकता है।
	(घ)	सेवाओं के क्षेत्र जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों में लगे कारपोरेट्स द्वारा पूंजीगत माल का आयात
vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं	(क)	पैरा I(आ)(i)(क) और पैरा I(आ)(i)(ख) के अंतर्गत पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त, किसी कंपनी को आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश अथवा भारत की किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से)के अधिग्रहण, जमीन-जायदाद, कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
	(ख)	स्थावर संपदा के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
	(ग)	कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्राप्यों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
(vii) गारंटी		बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सामान्यता बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी, आपात साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है। लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार से संबंधित गारंटी, आपात साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र प्रदान करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। भारतीय वस्त्रोद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सहज बनाने की दृष्टि से वस्त्रोद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु वस्त्र कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में गारंटी, आपात साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र के निर्गम पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन विचार किया जाएगा।

(viii) जमानत	उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली जमानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। फिर भी, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/आरबी-2000 के विनियम 8 और मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है।
(ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना	बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में वास्तविक आवश्यकता न होने तक विदेश में रखा जाएगा। विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है (क) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 न्यूनतम रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (ख) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखा के पास जमा; और (ग) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत। निधियों का इस तरह निवेश किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर भारत में उधारकर्ता की आवश्यकता पर उसका परिसमापन किया जा सके।
(x) समयपूर्व भुगतान	(क) प्राधिकृत व्यापारी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।
	(ख) रिज़र्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान पर विचार करेगा।
(xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण	कम लागत पर नया ऋण उगाह कर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्त पोषण की अनुमति है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।
(xii) ऋण चुकौती	सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिदेशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन /ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्ते भेजने की सामान्य अनुमति है।
(xiii) प्रक्रिया	आवदेक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई 400 001 को आवदेनपत्र प्रस्तुत करें।
(xiv) अधिकार प्रदत्त समिति	अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्रदत्त समिति गठित की गयी है।

खंड II : रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसार		
(i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था	(क)	प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से ऋण करार की प्रतिलिपि की प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है।
	(ख)	ऋण पंजीयन संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित फार्म 83 की दो प्रतियां नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करें। एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को भेजी जाए। [नोट:ऋण करार, एफसीसीबी के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को फार्म 83 के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।]
	(ग)	उधारकर्ता सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के बाद ऋण में आहरण द्वारा कमी कर सकते हैं।
	(घ)	उधारकर्ता ईसीबी-2 विवरणी नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित कराके मासिक आधार पर इस प्रकार भेजें कि वह सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से सात कार्य-दिवसों के भीतर मिल जाए।
		[नोट : बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी 3-ईसीबी 6 से संबंधित सभी अन्य विवरणियां 31 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई हैं।]
(ii) जानकारी का प्रसार		अधिक पारदर्शिता के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता का नाम, राशि, का प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के संबंध में जानकारी एक माह, जिससे यह संबंधित है , के अंतराल मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट पर डाली जाती है।

III. संरचित दायित्व	घरेलू रूप से संसाधन उगाहने और हेज विनिमय दर जोखिमों से बचाव के लिए कंपनियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से घरेलू रुपया मूल्यवर्गित संरचित दायित्वों को अंतरराष्ट्रीय बैंकों/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा ऋण में बढ़ोत्तरी किए जाने की अनुमति है। ऐसे आवेदनों पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।	
IV. बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निदेशों का अनुपालन	बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/ निदेशों के अनुरूप उधार उगाहे/ उपयोग किए गए, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 (फरवरी 1, 2005 के (ए.पी.डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31) के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/उपयोग के बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निदेशों के अनुरूप है।	
V. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन	(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है -	
	(क)	कंपनी के कार्यकलापों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन के लिए अनुमति ली है।
	(ख)	ऋण के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता यदि कोई हो, के क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।
	(ग)	सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध कंपनियों, जैसा मामला हो, के संबंध में शेयरों का मूल्यांकन सेबी और पूर्ववर्ती सीसीआई के दिशा-निदेशों/ विनियमों के अनुसार है।
	(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :	
	(क)	उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में साथ ही फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द " ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर साफ-साफ लिखा जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, अनुवर्ती माह में ईसीबी-2 जमा करने की जरूरत नहीं है।

	<p>(ख) बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन के मामले में उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।</p>
<p>VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार में को पारदर्शिता लाना</p>	<p>रूपये में भारत में कंपनियों द्वारा उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को पारदर्शी बनाने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को पूर्ण ब्योरे अर्थात् उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देनेवाले पत्र की परिस्थितियां, छूट की तारीख, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।</p>
<p>VII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार</p>	<p>नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणों के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और इसके बाद ईसीबी-2 में दी जाए।</p>

भाग - II	
भारत में आयात के लिए व्यापारिक ऋण	<p>"व्यापार ऋण" का आशय तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर, ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयात किए जाने के लिए दिया जाने वाला ऋण - है, जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाले ऋण की व्यवस्था करना है। यह ध्यान रखा जाए कि तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देश द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।</p>
(क) राशि और परिपक्वता अवधि	<p>प्राधिकृत व्यापारी बैंक डीजीएफटी की विदेश व्यापार नीति के अधीन अनुमत आयात के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के भारत में आयात के लिए एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधिवाले (पोतलदान की तारीख से) व्यापारिक उधार को अनुमोदित कर सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथावर्गीकृत पूंजी माल आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम परिपक्वतावाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते - हैं। अनुमत अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार के स्वतः समय विस्तार / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>प्राधिकृत व्यापारी बैंक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापारिक ऋण का अनुमोदन नहीं करेंगे।</p>

ख) समग्र लागत सीमा

वर्तमान समग्र लागत सीमा निम्नानुसार हैं:

परिपक्वता अवधि	छ : माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
एक वर्ष तक	75 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम	125 आधार अंक

* ऋण की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

ग) गारंटी	प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल की आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियां / वचनपत्र / साखपत्र जारी करने की अनुमति है। ऐसे गारंटियों/ वचनपत्रों/ साखपत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुकूल हो और उसकी गणना पोत पर माल लदान की तारीख से की जाए।
घ) रिपोर्टिंग व्यवस्था	प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से फार्म टीसी (संलग्नक IV में दिए गए फार्मेट) में माह के दौरान अपने सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्जेल फाइल में ईमेल द्वारा deapdif@rbi.org.in को) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक पहुंच जाए। प्रत्येक व्यापारिक ऋण को प्राधिकृत व्यापारी एक अनन्य पहचान संख्या दें।
	प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी गारंटियों/वचनपत्रों/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी आंकड़ों का एक समेकित विवरण तिमाही अंतराल पर (संलग्नक V के फार्मेट में) मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, मुंबई 400001 को (और fedcoecbd@rbi.org.in को ईमेल के माध्यम से MS-Excel फाइल में) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

फार्म ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदन

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य माप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करे।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएं :

- (i) समुद्रपारीय उधारकर्ता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।
- (ii) आयात संविदा की एक प्रति, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल।

भाग-अ- उधारकर्ता के बारे में सामान्य ब्योरे

1. आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में)
पता
2. आवेदक का स्टेटस,
 - i) निजी क्षेत्र
 - ii) सार्वजनिक क्षेत्र

भाग-आ-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर में
	समतुल्य राशि	

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे
 - (क) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	:
(ii)	क्रेता ऋण	:
(iii)	सामूहिक ऋण	:
(iv)	निर्यात ऋण	:
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	:
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	:
(vii)	नियत दर वाले बांड	:
(viii)	ऋण सहायता	:
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	:
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	:

ग)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें	:
(i)	ब्याज दर	:
(ii)	वैध शुल्क (अप-फ्रंट फी)	:
(iii)	प्रबंधन शुल्क	:
(iv)	अन्य प्रभार, अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें)	:
(v)	समग्र लागत	:
(vi)	वायदा शुल्क	:
(vii)	दंडस्वरूप ब्याज की दर	:
(viii)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि	:
(ix)	क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो	:
(x)	रियायत/अधिस्थगन अवधि	:
(xi)	चुकोती की शर्तें (अधवार्षिक/वार्षिक/बुलेट)	:
(xii)	औसत परिपक्वता	:

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग इ - आहरण द्वारा कमी और चुकोती संबंधी सूचना

प्रस्तावित सूची								
आहरण द्वारा कमी			मूलधन की चुकोती			ब्याज का भुगतान		
माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि

भाग ई - अतिरिक्त सूचना	
1.	परियोजना संबंधी सूचना
i)	परियोजना का नाम और स्थान :
ii)	परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर
iii)	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :
iv)	परियोजना का स्वरूप :
v)	क्या वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :
vi)	संरचनात्मक क्षेत्र : क) बिजली ख) दूरसंचार ग) रेलवे घ) पुल समेत रोड ङ) पोर्ट च) औद्योगिक पार्क छ) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज
vii)	क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? : अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें ।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकोतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग उ - प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा -

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____ मुहर

पदनाम : _____

फोन सं. : _____

फैक्स सं. : _____

ई-मेल : _____

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (i) आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____ मुहर

बैंक/शाखा का नाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी कूट

लोन की सं. (रिज़र्व बैंक/ सरकार द्वारा आबंटित)																							
करार दिनांक (YYYY/MM/DD)							/			/													
मुद्रा का नाम		मुद्रा कूट (स्विफ्ट)																					
राशि (विदेशी मुद्रा में)																				रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए			
गारंटी हैसियत				गारंटीकर्ता (नाम, पता, संपर्क सं. आदि)																			
(बॉक्स 1 के अनुसार कूट का प्रयोग करें) ↑																				विविध मुद्रा प्रकार			
उधारकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) संपर्की व्यक्ति का नाम : पदनाम : फोन सं. : फैक्स सं. : ई-मेल आइडी :										उधारदाता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता/ पट्टाकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) देश : ई-मेल आइडी :													
(रिज़र्व बैंक, सांविक्सेवि के उपयोग के लिए)										(रिज़र्व बैंक, सांविक्सेवि के उपयोग के लिए)													
उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)										उधारदाता की श्रेणी													
सार्वजनिक क्षेत्र इकाई					निजी क्षेत्र इकाई																		
श्रेणी का ब्योरा (नीचे टिक लगाएं)										बहुपक्षीय संस्था													
बैंक										विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)													
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी					पंजीकरण सं.					निर्यात ऋण/ बीमा संस्था													
वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)										विदेश में कार्यरत भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा													
कंपनी										अन्य वाणिज्य बैंक													
व्यष्टि वित्त गतिविधियों में लगी गैर सरकारी संगठन										माल के आपूर्तिकर्ता													

		अन्य (स्पष्ट करें)			पट्टादायी कंपनी/ वित्तीय कंपनी
					विदेशी सहभागी/ विदेशी इक्विटी धारक (उधारकर्ता कंपनी के प्रदत्त इक्विटी पूंजी में धारित राशि और प्रतिशत के ब्योरे सहित)
					अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार
					अन्य (स्पष्ट करें)
		उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी इक्विटी धारिता के ब्योरे: (क) उधारकर्ता का प्रदत्त इक्विटी में शेयर (%)			(ख) प्रदत्त इक्विटी की राशि
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम, बैंक कूट लिखें			उधारदाता का संदर्भ/ आइबीआरडी सं. (यदि व आइबीआरडी ऋण ले तो)
		बैंक कूट भाग I :			
		भाग II :			
		फैक्स :			
		ई-मेल आइडी :			

भाग आ : अन्य ब्योरे							
ईसीबी अनुमोदन योजना (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)				परिपक्वता ब्योरे			
स्वतः अनुमोदित मार्ग				ऋण की प्रभावी तिथि			
अनुमोदित मार्ग				वितरण की अंतिम तिथि			
सरकारी द्वारा अनुमोदित				परिपक्वता तिथि (अंतिम भुगतान तिथि)			
				रियायत अवधि (वर्ष / मा)		व	म
				आर्थिक क्षेत्र / उद्योग कूट (बॉक्स 3 देखें)			
उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें)							
यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं, तो ब्योरे संलग्न करें)							
ईसीबी के प्रकार							

	खरीदार का ऋण		आपूर्तिकर्ता का ऋण
	ऋण सहायता		द्विपाक्षिक स्रोतों से निर्यात ऋण
	वाणिज्यिक ऋण/ सामूहिक ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत वितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)		प्रतिभूतिकृत लिखत - बांड, सीपी, एफआरएन, आदि
	वित्तीय पट्टा		अन्य (स्पष्ट करें)
	पुराने ईसीबी को पुनर्वित्त : पुराने ईसीबी की पंजीकरण सं.		
अनुमोदन सं.	तारीख :	पुनर्वित्त राशि :	कारण :
जिसके उपयोग करके वायदा रक्षा जोखिम	ब्याज दर स्वॉप	मुद्रा स्वॉप करें)	अन्य (स्पष्ट करें)
भाग इ : लेनदेन की अनुसूची			
ब्याज भुगतान अनुसूची :			
पहली भुगतान तिथि	/	/	वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या
नियत दर	.		
अस्थायी दर आधार	मार्जिन	कैप नियत दर :	न्यूनतम नियत दर :
आहरण द्वारा कमी की अनुसूची			
शृंखला सं.	दिनांक (वववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि
	(कृपया नीचे टिप्पणी देखें)		यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तों
			आरणों की कुल सं.
			कैलेंडर वर्ष में आरणों की संख्या
टिप्पणी	1.	माल और सेवाओं के आयात के मामले में आरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि प्रस्तुत की जाए।	
	2.	वित्तीय पट्टे के मामले में मालों के अधिग्रण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।	
	3.	प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।	
	4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए।	
मूल चुकौती अनुसूची			
तिथि	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तों तो
			वार्षिक दर (यदि वार्षिक भुगतान

(वववव/मम/दिदि) (प्रथम चुकौती तिथि)		विदेशी मुद्रा में राशि	किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या	1)
यदि ऋण करार में वे विकल्प हैं तो उचित बॉक्सों में कृपया टिक करें :	क्रय विकल्प :	ऋण का प्रतिशत	विक्रय प्रतिशत	ऋण का	
दिनांक(दिनांकों) के बाद निष्पादित किया जा सकता है।		/	/	/	/
टिप्पणी : वार्षिकी भुगतान के मामले में कृपया मूल राशि के प्रत्येक समान किस्त और दर के साथ ब्याज की राशि दर्शाएं। यदि मूल चुकौती के लिए प्रतिशत प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत भी दर्शाया जाए।					
विलंब भुगतान के लिए दंडिक ब्याज	नियत	प्रति वर्ष अथवा आधार प्रतिशत:	मार्जिन		
प्रतिबद्धता प्रभार		प्रति वर्ष का प्रतिशत :	अनाहरित राशि का प्रतिशत		
अन्य प्रभार					
प्रभार का स्वरूप	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
(स्पष्ट करें)				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.

भाग ई : चालू और पिछले तीन वित्तीय में ली गई ईसीबी -(पहली बार उधार लेने वाले को लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तिथि पर चुकौती की निवल, यदि कोई हो।

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी है।

स्थान : _____ मुहर _____
दिनांक : _____ (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)
नाम : _____ पदनाम : _____
_____ (कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार का हस्ताक्षर)
महुर नाम _____

(प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके अतिरिक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा निदेशों के अनुरूप है।

स्थान : _____ मुहर _____
दिनांक : _____ (प्राधिकृत अधिकारी का स्ताक्षर)

नाम :
पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम :

बैंककूट:

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट		
क्रम सं.	कूट	वर्णन
1	जीजी	भारत सरकार गारंटी
	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र गारंटी
2	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक गारंटी

बॉक्स 2 : उधार कूट का प्रयोजन		
क्रम सं.	कूट	वर्णन
1	आइसी	पूँजी माल का आयात
2	आरएल	पूँजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट प्रयोग में लाए जाएँ		
उद्योग समूह का नाम	उद्योग का वर्णन	कूट
बागान	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद		300
विनिर्माण		
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट / तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
	कपड़ा उत्पाद (420)	सूती वस्त्र
जूट और कॉइर (नारियल जटा)		422
रेशम और रयॉन		423
अन्य वस्त्र		429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442
	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेर्स (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेर्स	452
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462

	कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शॉम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700
उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं		900
दूरसंचार सेवाएं		911
सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं		912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914
	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
वित्तीय सेवाएं		917
परिवहन सेवाएं		919
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया है)		999

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत
बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों को रिपोर्ट करना
(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)
_____ माह के लिए विवरणी

1. ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरा जाना चाहिए। इसे माह के अंत से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविक्सेवि), भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में "कुछ नहीं" विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने ज़लागू नहीं लिखें।
3. सभी तिथियां वववव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21
4. डीएफआइ/बैंकों/गैर-बैंकिंगवित्तीय संस्थाओं, आदि से उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांविक्सेवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि विवरणी सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
6. युनिक ऋण पहचान सं./रिज़र्व बैंक पंजीकरण सं. (फरवरी 01, 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में) रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए अनुसार दिया जाना चाहिए। वैसे ही, ऋण पंजीकरण सं. (01फरवरी 2004 के बाद) दिया जाना चाहिए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. आहरण द्वारा कमी के उपयोग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाए।

बॉक्स 1 : उपयोग के प्रयोजन के लिए कूट					
सं.	कूट	वर्णन	सं.	कूट	वर्णन
1	आईसी	पूंजी माल का आयात	12	टीएल	दूरसंचार
2	आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	13	आरडब्ल्यू	रेलवे
3	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	14	आरडी	रोड
4	आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	15	पीटी	पोर्ट
5	एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	16	आईएस	औद्योगिक पार्क
6	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	17	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व

7	आई पी	ब्याज भुगतान	18	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
8	एचए	विदेश में धारित राशि	19	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
9	एनपी	नई परियोजना	20	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
10	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	21	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पकेज
11	पीडब्ल्यू	बिजली	22	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
			23	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

9. विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग करें।

बॉक्स 2 : विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत		
सं.	कूट	वर्णन
1	ए	भारत से विप्रेषण
2	बी	विदेशी में धारित राशि
3	सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
4	डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
5	ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

केवल रिज़र्व बैंक (साविकंसेवि) के उपयोग के लिए	लोन की									
सीएस-डीआरएमएस समूह	प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण							

भाग अ : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ऋण की राशि			उधारकर्ता के ब्योरे
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम और पता
करार के अनुसार			संपर्की व्यक्ति का नाम
			पदनाम
संशोधित			फोन सं.
			फैक्स सं.
			ई-मेल आइडी :

भाग आ : वास्तविक लेनदेन के ब्योरे

1. माह के दौरान आहरण द्वारा कमी :

श्रृंखला सं.	दिनांक (वववव/मम/दिदि) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	मुद्रा	राशि	प्रतिबद्ध लेकिन माह के अंत तक आहरत न किए गए ऋण की राशि (ऋण की मुद्रा में)	
				मुद्रा	राशि

टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए ।
2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।
3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

2. भविष्य में आहरण किए जानेवाले की बकाया राशि की अनुसूची :

श्रृंखला सं.	आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (वववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज्यादा एकसमान किस्तों तो	
				आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

3. महीने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :

श्रृंखला सं.	दिनांक (वववव/मम/दिदि)	प्रयोजन कूट (बॉक्स 1 देखें)	देश	मुद्रा	राशि	नवीन /वितरण / विदेश में धारित खाते से

4. _____ महीने की शुरुआत में बकाया विदेश में रखी गई राशि :

दिनांक (वववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि

5. विदेश में रखी गई राशि का उपयोग

दिनांक (वववव/मम/दिदि)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि	प्रयोजन

6. महीने के दौरान ऋण भुगतान

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण की स्रोत (बॉक्स 2 देखें)	मूल राशि की चुकौती (ह- ँ/नीं)*
	मूल राशि					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

* समयपूर्व भुगतान के मामले में ब्योरे दें : स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं.
राशि :

दिनांक :

7. महीने के दौरान व्युत्पन्न लेनदेन (ब्याज दर, मुद्रा स्वॉप) (यदि कोई तो)

स्वैप का प्रकार	स्वैप-व्यापारी		काउंटर पार्टी		लागू होने की तारीख
	नाम	देश	नाम	देश	
ब्याज दर स्वैप					
मुद्रा स्वैप					

अन्य (स्पष्ट करें)					
--------------------	--	--	--	--	--

श्रृंखला सं.	नई मुद्रा	नई मुद्रा पर ब्याज दर	ऋण मुद्रा पर नया ब्याज दर	स्वैप सौदे की परिपक्वता तारीख

8. संशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर संशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (वववव/मम/दिदि) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तों		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान 10 तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1,2,3,4,6,12)	

9. महीने के अंत में बकाया ऋण की राशि :

मुद्रा _____

--	--	--

राशि :

(रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए)

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _____

मुहर

दिनांक : _____

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम : _____

पदनाम : _____

(उधारकर्ता के उपयोग के लिए)

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय को _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
नाम और पता
पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में उक्त दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

स्थान : _____

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

दिनांक : _____

नाम: _____

पदनाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता

यूनिफार्म कूट सं. :

फार्म - टीसी					संलग्नक IV						
					7 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.87 का अनुबंध						
भाग I :					माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गारंटीकृत व्यापारिक उधार का अनुमोदन						
प्राधिकृत व्यापारी का नाम					संपर्की व्यक्ति						
पता :					टेलीफोन नं.						
					फैक्स						
क्रम संख्या	मंजूरी देने की तारीख	ऋण पहचान संख्या	उधार कर्ता की श्रेणी	उधारदाता का नाम	उधारदाता का देश	करेंसी	राशि	समतुल्य राशि	ब्याज दर	अन्य प्रभार (अमरीकी डालर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	कुल										

फार्म - टीसी					संलग्नक IV		
					7 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.87 का अनुबंध		
भाग I :					माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गारंटीकृत व्यापारिक उधार का अनुमोदन		
समग्र लागत	ऋण की अवधि		ऋण का स्वरूप		आयात की मद / प्रस्तावित आयात		
	दिनों/महीनों/ वर्षों की संख्या	अवधि की समय इकाई	आपूर्तिकर्ता का ऋण/ क्रेता का ऋण	अल्पकालिक व्यापार ऋण/दीर्घकालीन व्यापार ऋण	व्योरा	श्रेणी	
12	13	14	15	16	17	18	

- I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)
- II. क्रेता का ऋण (बीसी)
- III. अल्पकालिक व्यापार ऋण (एसटीसी)
- IV. दीर्घकालीन व्यापार ऋण (एलटीसी)
- V. कुल व्यापार ऋण (टीसी)
- * अथवा आपूर्तिकर्ता
- ** कृपयासंबंधित कोड सं. जैसे (एससी) अथवा (बीसी) अथवा (एसटीसी) अथवा (एलटीसी) अथवा (टीसी) टाइप करें

टिप्पणी 1 ऋण पहचान संख्या का फार्मेट है : टीसी/(बैंक/ शाखा का नाम) / (पहचान संख्या)

टिप्पणी 2 कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। उन कॉलमों में अक्षर न लिखे जाएं।

टिप्पणी 3 कॉलम सं. 2 में तारीख का कॉलम है : वर्ष वर्ष वर्ष /माह माह माह /दिन दिनदिन
31 दिसंबर 2003 इस प्रकार से लिखा जाए: 2003/12/31

फार्म - टीसी		17 अप्रैल 2004 का एपी(डीआई आर सिरीज़) परिपत्र सं.87 का अनुबंध									
भाग II : _____ (माह)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण उपयोग और ऋण शोधन											
क्रम संख्या	ऋण पहचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकोती (अमरीकी डालर में)				इनका दिनांक		
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	लदान	अंतिम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 : स्तंभ सं. 1, 3 से 10 तक में सूचना सिर्फ अंकों में भरे जाए। इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखे जाएं।

नोट 2 : स्तंभ सं. 11 में दिनांक फार्मेट (वववव/मम/दिदि)। उदाहरण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

1. _____ माह के दौरान हमारी शाखा से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल एंट्री की ईसी प्रति प्रति) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है ।

3. हमारी शाखा द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 87 में समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है ।

स्थान : _____

दिनांक : _____

मुहर

 प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी गारंटी/वचनपत्र /लेटर ऑफ कंफर्ट का विवरण

----- को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम :

संपर्की व्यक्ति :

पता :

टेलीफोन :

ई-मेल :

फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट	
	जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
<p>व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम)</p> <p>(क) एक वर्ष तक</p> <p>(ख) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम**</p> <p>** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)</p>		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

मुहर

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में
इस मास्टर परिपत्र में समेकित अधिसूचनाओं/परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा 3/2000-आरबी	मई 3, 2000
2.	फेमा 126/2004-आरबी	दिसंबर 13, 2004
3.	फेमा 127/2005-आरबी	जनवरी 5, 2005
4.	फेमा 129/2005-आरबी	जनवरी 20, 2005
5.	फेमा 142/2005-आरबी	दिसंबर 6, 2005
6.	फेमा 157/2007-आरबी	अगस्त 30, 2007

1.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	अप्रैल 29, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	अक्टूबर 18, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	जनवरी 31, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 23, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.82	अप्रैल 1, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	अप्रैल 17, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्टूबर 1, 2004
8.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	नवंबर 1, 2004
9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 25, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	अगस्त 1, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	नवंबर 4, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	जनवरी 23, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	मई 12, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	दिसंबर 4, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	अप्रैल 30, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	मई 21, 2007
17.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	अगस्त 7, 2007
18.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	सितंबर 26, 2007
19.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	मई 28, 2008
20.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	मई 29, 2008
21.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	जून 02, 2008

